

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च 2023—चैत्र 3, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2023

क्र. ई-1-19-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री एम. सेलवेन्द्रन (2002), सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग एवं पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल।	पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश भोपाल तथा आयुक्त-सह-संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।	—

1791

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (2010), कलेक्टर, जिला ग्वालियर.	अपर सचिव, मुख्यमंत्री एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
3.	श्री आशीष सिंह (2010), कलेक्टर, जिला उज्जैन.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन
4.	श्री अक्षय कुमार सिंह (2010), कलेक्टर, जिला शिवपुरी.	कलेक्टर, जिला ग्वालियर.	—
5.	श्री रविन्द्र कुमार चौधरी (2011), संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPCET) (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला शिवपुरी.	—
6.	श्री शिवराज सिंह वर्मा (2011), कलेक्टर, जिला बड़वानी.	कलेक्टर, जिला खरगौन.	—
7.	डॉ. फटिंग राहुल हरिदास (2012), कलेक्टर, जिला सिवनी.	कलेक्टर, जिला बड़वानी.	—
8.	श्री कुमार पुरुषोत्तम (2012), कलेक्टर, जिला खरगौन.	कलेक्टर, जिला उज्जैन.	—
9.	सुश्री सोनिया मीना (2013), कलेक्टर, जिला अनूपपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	—
10.	श्री आशीष वशिष्ठ (2014), आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर.	कलेक्टर, जिला अनूपपुर.	—
11.	श्री क्षितिज सिंघल (2014), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर.	कलेक्टर, जिला सिवनी.	—

2. श्री आशीष सिंह, भाप्रसे (2010) द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

श्री आशीष सिंह, भाप्रसे (2010), द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुखवीर सिंह, भाप्रसे (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

3. श्री विवेक पोरवाल भाप्रसे (2000), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

4. श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे (2002) द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रीति मैथिल, भाप्रसे (2009), अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को केवल संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

5. श्रीमती प्रीति मैथिल, भाप्रसे (2009) द्वारा प्रबंध संचालक, बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तरुण राठी, भाप्रसे (2010), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2023

क्र. ई-1-225-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी, को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मंडल

2. उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 फरवरी 2023 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई-1-228-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये आवंटन वर्ष 1999 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के प्रमुख सचिव वेतनमान रुपये 1,82,200—2,24,100/- (पे-मैट्रिक्स-15) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. पवन कुमार शर्मा, कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर तथा आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार).	वि.क.अ.-सह-कमिश्नर, इन्दौर संभाग, इन्दौर, तथा आयुक्त (फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2.	डॉ. ई. रमेश कुमार, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भोपाल	वि.क.अ.-सह-आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

2. उक्त आदेश कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

क्र. ई-1-21-2023-5-एक.—श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2023

क्र. ई-1-22-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सुश्री संस्कृति जैन (2015), अपर कलेक्टर, जिला सतना.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा.	—
2.	श्री मृणाल मीना (2015), आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा.	अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2023

क्र. ई-1-25-2023-5-एक.—श्री दिलीप कुमार कापसे, भाप्रसे (2014), राज्य शिष्टाचार अधिकारी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-26-2023-5-एक.—श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए, उन्हें सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग तथा विमानन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-151-2022-5-एक.—श्री चन्द्रशेखर शुक्ला, भाप्रसे (2014), आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, सागर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

संशोधन आदेश

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2023

क्र. ई-5-1145-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती गुंचा सनोबर (भाप्रसे-2017), अपर कलेक्टर, जिला सीहोर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 फरवरी 2023 द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2023 से 4 अगस्त 2023 तक, 178 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था, में संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 9 फरवरी से 7 अगस्त 2023 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती गुंचा सनोबर, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गुंचा सनोबर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2023

क्र. ई-1-33-2023-5-एक.—श्रीमती अंजू अरूण कुमार, भाप्रसे (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डोरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-34-2023-5-एक.—सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे (2020), सहायक कलेक्टर, जिला सिवनी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिछिया, जिला मण्डला के पद पर पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-36-2023-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री गौतम सिंह (2011), कलेक्टर, जिला मंदसौर.	अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2.	श्री दिलीप कुमार यादव (2014), अपर कलेक्टर, जिला भोपाल तथा प्रशासक, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर, जिला मंदसौर.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2023

क्र. एफ-5-01-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री वीरेन्द्र सिंह, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4571-(दो-1-7-18), दिनांक 25 नवम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 13 से 14 अक्टूबर 2022 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. एफ-5-01-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री वीरेन्द्र सिंह, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी-6444-(दो-1-7-2018), दिनांक 14 दिसम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 19 से 21 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. एफ-5-01-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री वीरेन्द्र सिंह, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी-6446-(दो-1-7-2018), दिनांक 14 दिसम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 2 से 9 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt(ए) दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह छठवां अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23/24 फरवरी 2023

फा. क्र. 563-2019-फेस-II इक्कीस-ब(एक)-2023.— मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2019 फेस-2 की चयन सूची दिनांक 4 मई 2022 में 05 निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के नियुक्ति आदेश को उनके द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, के आदेश क्रमांक 1226-गोपनीय-2022, दिनांक 12 दिसम्बर 2022, जो कि उनके द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम, ओरिएंटेशन प्रशिक्षण में भाग लेने एवं पदस्थापना आदेश प्राप्त किये जाने से संबंधित था, के अपालन के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2019 फेस-II की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्रमांक से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है:—

(1) सुश्री प्रियंका वर्मा पुत्री श्री अशोक वर्मा	मेरिट क्रमांक 22
(2) सुश्री रूहेला पुत्री गुरविंदर माँडव	मेरिट क्रमांक 62
(3) सुश्री कोमल राव पुत्री श्री अनिल राव	मेरिट क्रमांक 70
(4) सुश्री नेहा सिंह पुत्री श्री श्याम सिंह	मेरिट क्रमांक 90
(5) श्री करन वीर सिंह पुत्र श्री कुलवंत सिंह	मेरिट क्रमांक 98

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2023

फा. क्र. 1171-इक्कीस-ब(एक)-2023.— अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश को कॉलम (2) में उल्लेखित जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

स. क्र.	सारणी	सेशन न्यायालय
(1)	जिले का नाम	(3)
"1.	अशोकनगर	श्री राकेश कुमार पाटीदार (जूनियर), द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर."

F. No. 1171-XXI-B(1)-2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) the State Government with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Sessions Judge/ Additional Sessions Judge mentioned in column (3), as Special Judge for districts mentioned in column (2), of the table given below to try the offences under the said Act, namely:—

TABLE

S. No.	Name of District	Sessions Court
(1)	(2)	(3)
"1.	Ashoknagar	Shri Rakesh Kumar Patidar (Jr.), II District and Additional Sessions Judge, Ashoknagar."

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2023

फा. क्र. 25-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 800-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 16 फरवरी 2023 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर में नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विधि पदाधिकारियों के कार्यकाल में एक माह की अभिवृद्धि की गई थी, उक्त अभिवृद्धि दिनांक 31 मार्च 2023 तक की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2023

फा. क्र. 1174-इक्कीस-ब(एक)-2023.—राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव, विधि के रिक्त पद पर संविदा पर नियुक्त श्री विजय कुमार पाण्डेय की संविदा पर नियुक्ति "मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम-2017" के नियम 10(3) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 मार्च 2023 को एक माह पूर्व संविदा नियुक्ति समाप्त किये जाने संबंधी दी गई सूचना के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2023 को अपराह्न पश्चात् से संविदा नियुक्ति समाप्त करता है.

बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2023

क्र. 700-1202412-2023-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रतलाम	रतलाम	श्रीमती बाबी जुनेजा अग्रवाल, JMFC

No. 700-1202412-2023-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ratlam	Ratlam	Smt. Barbie Juneja Agrawal, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशारिया, उपसचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2023

क्र. एफ-22-14-2000-ई-चार.—राज्य शासन, एतद्वारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), मुंबई के पत्र क्रमांक सिडबी: आईएफवी: सं 18404/MPFC-बीओडी, दिनांक 27 जनवरी 2023 के संदर्भ में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 15(1) सहपठित धारा 10(ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मनोज गोविल, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के स्थान पर श्री अजीत केसरी, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष पद हेतु तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक के लिए मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2023

क्र. 210-PHFW-0182-2022-सत्रह-मेडि-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त टीप क्रमांक 2704-1002585-2022-एक-3, दिनांक 27 दिसम्बर 2022 द्वारा दी गयी सहमति उपरांत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 21 उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त औषधि निरीक्षक, कार्यपालिक तृतीय श्रेणी मूल वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 3600/- (छट्ठा वेतनमान) के पद को राजपत्रित सेवा श्रेणी-दो (राजपत्रित द्वितीय श्रेणी अधिकारी) घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सीमा डहेरिया, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2023

क्रमांक/595/आर-1162743/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23°32'37.51" से 23°32'12.99" उत्तर अक्षांश तथा 74°54'41.13" से 74°55'07.73" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- रतलाम

तहसील - पिपलौदा

वनमण्डल - रतलाम

वन परिक्षेत्र - सैलाना

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	शेरपुर	शेरपुर	मध्यप्रदेश	858/1	5.100	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 01 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 09 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 11 से 19 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 19 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
			शासन का.	858/2	8.993	
			का.का.	858/3	12.770	
			घासबीड़	858/4/2	8.353	
			योग		35.216	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6-MPC15/2019-BHO/209 दिनांक 06 मार्च, 2019 एवं आदेश क्रमांक 6-MPC080/2018-BHO/056 दिनांक 22 जनवरी, 2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, रतलाम की उमरन जलाशय एवं गढावदिया जलाशय परियोजना तथा अन्य परियोजना में प्रभावित 33.688 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 35.216 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 35.216 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला रतलाम के आदेश प्रकरण क्रमांक 0018/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 23.09.2021, RCMS प्रकरण क्रमांक 0019/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 05.05.2022, RCMS प्रकरण क्रमांक 0020/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 05.05.2022, RCMS प्रकरण क्रमांक 0021/अ-20(3)/2021-22 दिनांक 05.05.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर तहसीलदार पिपलौदा जिला-रतलाम के प्रतिवेदन दिनांक 06.09.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2023

क्रमांक 595-आर-1162743-2023-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 595-आर-1162743-2023-दस-3, दिनांक 10 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th March 2023

No./595 /R-1162743/2023/10-3 ::¹ In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest block lies between 23⁰32'57.51" to 23⁰32'12.99" North Latitude and 74⁰54'41.13" to 74⁰55'07.73" East Longitude.

SCHEDULE

District - Ratlam

Forest Division - Ratlam

Tahsil - Piploda

Forest Range - Sailana

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Sherpur	Sherpur	Madhya Pradesh Govt. Ka.Ka. Fodder	858/1, 858/2, 858/3, 858/4/2	5.100 8.993 12.770 8.353	North - Protected Forest Block Boundary Artificial pillar No. 01 to 09. East - Protected Forest Block Boundary Artificial pillar No. 09 to 11. South - Protected Forest Block Boundary Artificial pillar No. 11 to 19. West - Protected Forest Block Boundary Artificial pillar No. 19 to 01.
				Total	35.216	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Govt. of India's order No. F.No.6-MPC15/2019-BHO/209 dated 06 March, 2019 and order No. F.No.6-MPC080/2018-BHO/056 dated 22 January, 2019 and in lieu of 33.688 hectare forest land affected in Umran Tank Project, Gadawdiya Tank Project of Executive Engineer, WRD District Ratlam and other projects, the above mentioned non forest land of 35.216 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by District Collector Ratlam vide order Project no./0018/A-20(3)/2021-22 dated 23.09.2023, RCMS Project no./0019/A-20(3)/2021-22 dated 05.05.2022, RCMS Project no./0020/A-20(3)/2021-22 dated 05.05.2022, RCMS Project no./0021/A-20(3)/2021-22 dated 05.05.2022 for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 06.09.2022 of Tehsildar Piploda, District Ratlam are as under.

1. Individual Rights :- There are no individual rights on the said land.

2. Community Rights :- There are no community rights on the said land.

Therefore, the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act ,1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2023

सूचना

क्रमांक-यूडीएच-3/0062/2023/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि0क0अ0 सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-5548/ टीसी /59/रतलाम/ उपां /2021 भोपाल दिनांक 26/12/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रतलाम विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम बिरियाखेड़ी तहसील व जिला रतलाम	49/1/2	0.800	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
		योग :-	कुल रकबा 0.800 हेक्टेयर		

नोट:-

1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख अवस्थित रतलाम-जुलवानिया ग्रामीण मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर रखी जाकर मार्ग मध्य से 9.00 मीटर मार्ग विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
2. स्थल के पास अवस्थित जलाशय, नाला के किनारों से वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट सीमा तक प्रभावित भूमि को खुली रखना आवश्यक होगा ।
3. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।
4. उपरोक्त उपांतरण रतलाम विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र.-05-अ-82-2022-2023

रायसेन, दिनांक 14 फरवरी 2023

अंतर्गत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बाँध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम चौदामरु के लिए बाँध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बाँध

भूमि का विवरण .

- 1 जिला :- रायसेन
2 तहसील :- बेगमगंज
3 ग्राम :- चौदामरु
4 पटवारी हल्का नम्बर :- 01
5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हे० : 0.449 हे०

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	खसरा न०	भूमि स्वामी का नाम	मकान का प्रकार	निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्गमी०) में
1	2	3	4	5
128	27 वन	देवी मंदिर	पक्का मंदिर	1.06
129	31 मरघट	ठाकुर वावा का चबूतरा	पक्का चबूतरा	16.00
130	31 मरघट	शमशान घाट	पक्का टीन सेट	49.00
131	67 रास्ता	हनुमान जी का मंदिर	पक्का मंदिर	49.32
132	67 रास्ता	शंकर जी का मंदिर	पक्का मंदिर	4.84
133	67 रास्ता	ठाकुर बाबा का चबूतरा	पक्का चबूतरा	5.50
93	86 आबादी (गाँवठान)	पूरन पिता मोहनलाल	(पूर्ण रूप से धूअस्त) कच्चा मकान	85.98
94	86 आबादी (गाँवठान)	प्रहलाद पिता हरिराम	कच्चा मकान	20.77
95	86 आबादी (गाँवठान)	पुरुषोत्तम पिता हरिराम	कच्चा मकान	20.77
61	87 रास्ता	मोहनलाल पिता परमसिंह	(पूर्ण रूप से धूअस्त) कच्चा मकान	46.40

1	2	3	4	5
62	87 रास्ता	रघुबीरसिंह पिता मोहनलाल	(पूर्ण रूप से धूअस्त) कच्चा मकान	46.40
63	87 रास्ता	करनसिंह पिता मोहनलाल	(पूर्ण रूप से धूअस्त) कच्चा मकान	46.40
9	95 आबादी (गोंवठान)	रामकिशन पिता बलिराम	कच्चा मकान	81.65
17	95 आबादी (गोंवठान)	महेन्द्र सिंह पिता लालचंद	(पूर्ण रूप से धूअस्त) कच्चा मकान	40.00
18	95 आबादी (गोंवठान)	उदयमान पिता प्यारेलाल	पक्का एवं कच्चा मकान	101.47
27	95 आबादी (गोंवठान)	कैलाश पिता रविशंकर दुबे	पक्का मकान	44.64
28	95 आबादी (गोंवठान)	पवन पिता कैलाश दुबे	कच्चा मकान	34.41
29	95 आबादी (गोंवठान)	राजेश पिता रविशंकर	कच्चा मकान	28.23
30	95 आबादी (गोंवठान)	हरलाल पिता खुमान सिंह कुशवाहा	पक्का एवं कच्चा मकान	81.86
31	95 आबादी (गोंवठान)	मुंशीलाल पिता खुमान सिंह कुशवाहा	पक्का एवं कच्चा मकान	25.83
32	95 आबादी (गोंवठान)	सीताराम पिता मुंशीलाल	पक्का एवं कच्चा मकान	25.83
33	95 आबादी (गोंवठान)	जीवन पिता मुंशीलाल कुशवाहा	पक्का एवं कच्चा मकान	25.83
34	95 आबादी (गोंवठान)	कमलेश पिता घूमन सिंह	कच्चा मकान	8.40
35	95 आबादी (गोंवठान)	बाला प्रसाद पिता घूमन सिंह	कच्चा मकान	11.59
36	95 आबादी (गोंवठान)	घूमन पिता भोले	कच्चा मकान	11.59
37	95 आबादी (गोंवठान)	गजराज पिता घूमन	कच्चा मकान	29.55
38	95 आबादी (गोंवठान)	संतराम पिता घूमनसिंह	पक्का एवं कच्चा मकान	70.02
39	95 आबादी (गोंवठान)	हरिकृष्ण पिता जगदीश	पक्का एवं कच्चा मकान	79.74
40	95 आबादी (गोंवठान)	जगदीश पिता अर्जुन	कच्चा मकान	22.50
41	95 आबादी (गोंवठान)	नरेन्द्र पिता जमनाप्रसाद	कच्चा मकान	77.13
42	95 आबादी (गोंवठान)	राधारानी पति जमनाप्रसाद	कच्चा मकान	74.85
43	95 आबादी (गोंवठान)	रोहित पिता मनमोहन	कच्चा मकान	62.22
44	95 आबादी (गोंवठान)	रामदयाल पिता परमानंद	पक्का एवं कच्चा मकान	118.59
45	95 आबादी (गोंवठान)	मनमोहन पिता अर्जुनसिंह	पक्का एवं कच्चा मकान	129.38

1	2	3	4	5
46	95 आबादी (गौवठान)	राकेश पिता जगदीश	कच्चा मकान	86.21
47	95 आबादी (गौवठान)	बालचंद पिता भागचंद	पक्का एवं कच्चा मकान	94.45
48	95 आबादी (गौवठान)	रनधीर पिता सुखलाल	पक्का एवं कच्चा मकान	77.50
49	95 आबादी (गौवठान)	गुलाब पिता घनश्याम	पक्का एवं कच्चा मकान	77.05
50	95 आबादी (गौवठान)	जाहर सिंह पिता हल्कई	पक्का एवं कच्चा मकान	18.88
51	95 आबादी (गौवठान)	धनसिंह पिता हल्कई	पक्का एवं कच्चा मकान	18.88
52	95 आबादी (गौवठान)	शंकर पिता कडोरी	पक्का एवं कच्चा मकान	53.66
53	95 आबादी (गौवठान)	भगवानसिंह पिता गुलाब सिंह	पक्का एवं कच्चा मकान	67.69
54	95 आबादी (गौवठान)	छतरसिंह पिता गुलाब सिंह	कच्चा मकान	35.77
56	95 आबादी (गौवठान)	इमरतसिंह पिता ब्रजलाल	कच्चा मकान	108.34
59	95 आबादी (गौवठान)	रामचरण पिता ब्रजलाल	पक्का एवं कच्चा मकान	82.17
60	95 आबादी (गौवठान)	मोतीबाई पति ब्रजलाल	कच्चा मकान	40.05
71	95 आबादी (गौवठान)	करनसिंह पिता बृजलाल	कच्चा मकान	61.63
104	95 आबादी (गौवठान)	मेहताब पिता मानसिंह	पक्का एवं कच्चा मकान	69.29
105	95 आबादी (गौवठान)	महेन्द्र पिता मानसिंह	पक्का एवं कच्चा मकान	177.90
106	95 आबादी (गौवठान)	सोनू सिंह पिता महताप सिंह	पक्का एवं कच्चा मकान	69.29
107	95 आबादी (गौवठान)	किशोरी लाल पिता नंदलाल	पक्का एवं कच्चा मकान	149.51
108	95 आबादी (गौवठान)	मनमोहन पिता नंदलाल	पक्का एवं कच्चा मकान	91.58
109	95 आबादी (गौवठान)	अशोक पिता किशोरी लाल	पक्का एवं कच्चा मकान	47.62
110	95 आबादी (गौवठान)	अंकित पिता अशोक	कच्चा मकान	55.95
111	95 आबादी (गौवठान)	सनमान पिता प्रभुराम	पक्का एवं कच्चा मकान	54.98
112	95 आबादी (गौवठान)	जयराम पिता प्रभुराम	पक्का एवं कच्चा मकान	54.98
113	95 आबादी (गौवठान)	भगवानदास पिता मोतीलाल	कच्चा मकान	20.71
114	95 आबादी (गौवठान)	हरि सिंह पिता मोतीलाल	कच्चा मकान	20.71

1	2	3	4	5
115	95 आबादी (गोंवठान)	प्रताप सिंह पिता मोती लाल	कच्चा मकान	20.71
116	95 आबादी (गोंवठान)	धनराज पिता प्रताप सिंह	कच्चा मकान	20.71
134	95 आबादी (गोंवठान)	शासकीय कुआ	पक्का कुआ	9.07
10	105 रास्ता	शिवप्रसाद पिता बलदेव	पक्का एवं कच्चा मकान	33.90
11	106 आबादी (गोंवठान)	उमरावसिंह पिता मुल्लेसिंह	पक्का एवं कच्चा मकान	36.84
12	106 आबादी (गोंवठान)	पूरनसिंह पिता उमरावसिंह	पक्का मकान	25.59
13	106 आबादी (गोंवठान)	लखन पिता उमराव	कच्चा मकान	18.80
14	106 आबादी (गोंवठान)	निरपत पिता उमराव	पक्का एवं कच्चा मकान	78.81
15	106 आबादी (गोंवठान)	प्रदीप पिता फूलसिंह	कच्चा मकान	37.29
16	106 आबादी (गोंवठान)	रामबाई वेवा फूलसिंह	कच्चा मकान	59.35
26	119 आबादी (गोंवठान)	प्रेमबाई पति धोवनसिंह	पक्का एवं कच्चा मकान	74.80
1	149 काबिल कास्त शासकीय	धूमनसिंह पिता फूलसिंह	पक्का एवं कच्चा मकान	58.94
55	243/28 शासकीय	रिजवाना पति आविद अली	1 (पूर्ण रूप से धूअस्त) कच्चा मकान 2 कच्चा मकान छत-टीन सेट	225.30
74	244/28 रास्ता	मूलचंद पिता नवलसिंह	पक्का मकान	38.43
75	244/28 रास्ता	गोवर्धन पिता देवीसिंह	पक्का एवं कच्चा मकान	159.42
135	244/28 रास्ता	शासकीय पानी की टंकी	पक्की पानी टंकी	2.13
136	Z7	आगनबाडी शासकीय	पक्का मकान	203.29
		शा0 प्रा0 शाला	पक्का मकान	182.29
योग:-				4498.22 (वर्गमी0)
				0.449 (ह0)

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-04-अ-82-2022-2023

अंतर्गत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम ककरुआ बरामद गढ़ी के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध

भूमि का विवरण

- 1 जिला :- रायसेन
 2 तहसील :- बेगमगंज
 3 ग्राम :- ककरुआ बरामद गढ़ी
 4 पटवारी हल्का नम्बर :- 01
 5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल है 0.283 हे०

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	खसरा नं०	भूमि स्वामी का नाम	मकान का प्रकार	निर्मित मकान का मूल्य का क्षेत्रफल (वर्गमी०) में
1	2	3	4	5
1	59/1 शासकीय	शंभावा पति साबिर अली	कच्चा मकान	32.68
2	60/1 शासकीय	अनवरी पति शराफत खान	कच्चा मकान	32.68
3	59/1 शासकीय	समीना पति वाहिद	कच्चा मकान	32.68
4	59/1 शासकीय	खिलान पिता हरिसिंह	कच्चा मकान	28.58
5	59/1 शासकीय	इब्राहिम खों पिता अमीर खों	पक्का एवं कच्चा मकान	149.05
6	67 शासकीय	अशराख खान पिता शराफत खान	पक्का मकान	119.49
7	59/1 शासकीय	अशराम खान पिता अमीर खान	पक्का एवं कच्चा मकान	156.82
8	59/1 शासकीय	इसराइल पिता छोटे खों	पक्का एवं कच्चा मकान	65.78
9	59/1 शासकीय	सलमा बी पति छोटे खों	कच्चा मकान	89.28

क्र.	खसरा नं०	भूमि स्वामी का नाम	मकान का प्रकार	निर्मित मकान का मूल का क्षेत्रफल (वर्गमी०) में
1	2	3	4	5
10	59/1 शासकीय	सलमान पिता छोटे खान	पक्का मकान	38.69
11	59/1 शासकीय	छोटे खों पिता अमीर खों	पक्का मकान	42.80
12	67 शासकीय	सन्तुबर पिता मुनबर	पक्का मकान	29.27
13	67 शासकीय	तसुबर पिता मुनबर	पक्का मकान	29.27
14	67 शासकीय	जैवा खान पिता इस्माईल खान	पक्का मकान	48.33
15	67 शासकीय	इस्माईल पिता आमिर खान	पक्का मकान	78.91
16	67 शासकीय	अनवर अली पिता मुनबर अली	पक्का मकान	39.87
17	67 शासकीय	सैईदा बी. वेबा मुनबर अली	कच्चा मकान	65.15
18	66 आवादी गावठान	अख्तर अली पिता काशिम अली	पक्का एवं कच्चा मकान	34.63
19	67 शासकीय	ताहिर अली पिता तैयब अली	पक्का मकान	93.72
20	66 आवादी गावठान	अब्दुल नसीम पिता मों. सगीर खान	पक्का मकान	17.77
21	66 आवादी गावठान	वसीम पिता नसीम खान	पक्का मकान	17.77
22	66 आवादी गावठान	शाहबाज पिता अब्दुल नसीम खान	पक्का मकान	17.77
23	66 आवादी गावठान	नूजत पति नसीम खान	पक्का मकान	17.77
26	59/1 शासकीय	जसमन सिंह काछी पिता मूल चन्द	पक्का एवं कच्चा मकान	64.23
27	59/1 शासकीय	मूल चन्द पिता नवल सिंह	पक्का मकान	36.19
28	59/1 शासकीय	निरंजन काछी पिता मूलचंद	कच्चा मकान	55.43
29	66 आवादी गावठान	शफीक मो पिता वजीर मो.	पक्का मकान	42.60
30	66 आवादी गावठान	बजीर मो. पिता अमीर मो.	पक्का मकान	42.60

क्र.	खसरा नं०	भूमि स्वामी का नाम	मकान का प्रकार	निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्गमी०) में
1	2	3	4	5
31	66 आवादी गावठान	जुबेर अली पिता अखतर अली	पक्का एवं कच्चा मकान	45.75
32	66 आवादी गावठान	नवेद अली पिता अखतर अली	पक्का एवं कच्चा मकान	45.75
34	66 आवादी गावठान	अशोक पिता मूलचंद	पक्का मकान	32.57
40	66 आवादी गावठान	शाकिर अली पिता शफदर अली	पक्का मकान	14.87
41	66 आवादी गावठान	शाहिद अली पिता शाकिर अली	पक्का मकान	14.87
42	66 आवादी गावठान	शाबिर अली पिता शफदर अली	पक्का मकान	10.40
43	66 आवादी गावठान	नासिर अली पिता शवदर अली	पक्का मकान	10.40
44	66 आवादी गावठान	लाईका बी बेवा अतिक खां	पक्का मकान	10.40
45	66 आवादी गावठान	सादाव अली पिता शाकिर अली	पक्का मकान	10.40
46	66 आवादी गावठान	सादिक खान पिता इवारिक खान	पक्का मकान	34.81
47	66 आवादी गावठान	नाजिम पिता आजम खान	पक्का मकान	20.21
48	66 आवादी गावठान	नदीम पिता आजम खान	पक्का मकान	20.21
49	66 आवादी गावठान	आशिक अली पिता कुदरत अली	पक्का मकान	49.11
56	66 आवादी गावठान	फैजान अली पिता आशिक अली	पक्का मकान	73.84
57	66 आवादी गावठान	जाहिद अली पिता कुदरत अली	पक्का मकान	15.25
58	66 आवादी गावठान	वाहिद अली पिता कुदरत अली	पक्का मकान	15.25
59	66 आवादी गावठान	जैद अली पिता जाहिद अली	पक्का एवं कच्चा मकान	15.25
60	66 आवादी गावठान	फातिमा बी पति कुदरत अली	पक्का एवं कच्चा मकान	39.01
61	59/1 शासकीय	साजिद अली पिता कुदरत अली	पक्का एवं कच्चा मकान	61.52

क्र.	खसरा नं०	भूमि स्वामी का नाम	मकान का प्रकार	निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्गमी०) में
51	2	3	4	5
62	59/1 शासकीय	आविद अली पिता कुदरत अली	पक्का एवं कच्चा मकान	52.41
63	59/1 शासकीय	फरान अली पिता आविद अली	पक्का मकान	49.83
64	59/1 शासकीय	मस्जिद	पक्की मस्जिद	136.79
65	59/1 शासकीय	शफिका बी पति चार्द खॉ	पक्का एवं कच्चा मकान	100.21
66	59/1 शासकीय	सईद खा पिता सलीम खॉ	पक्का एवं कच्चा मकान	86.37
67	59/1 शासकीय	सखावत पिता शकूर अली	पक्का एवं कच्चा मकान	113.41
77	59/1 शासकीय	शासकीय प्रथमिक शाला ग्राम ककरुआ बरामद गढ़ी	पक्का स्कूल	121.91
78	59/1 शासकीय	शासकीय पानी नल (हेटपम्प)	फर्स पक्का	2.25
79	59/1 शासकीय	शासकीय पानी नल (हेटपम्प)	फर्स पक्का	2.25
80	59/1 शासकीय	हनुमान मंदिर	पक्का मंदिर	17.94
81	66 आवादी गावठान	शासकीय पानी की टंकी	पक्का चबूतरा	3.20
82	59/1 शासकीय	शासकीय चबूतरा	पक्का चबूतरा	17.28
83	69/2 शासकीय	चबूतरा ठाकर बाबा	पक्का चबूतरा	17.42
84	106/69 मरघट	शमसान घाट ककरुआ	पक्का चबूतरा छत टिन सेट	49.00
योग				2829.95 वर्गमी०
				0.283 हे०

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग**

क्र.-1594-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 6 मार्च 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :-थॉवरी ब.नं.-266 प.ह.नं.- 47
 2- रा.नि.मं. :-भोमा तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 1.66 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमार्				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति किस्म	संख्या	प्रकार	कुसी का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	40/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	धनीराम पुत्र भारत जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	ग्राम सरहद	शासकीय	ग्राम सरहद	भूरसिंह पि. भारत	-	-	-	-
2	40/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	भूरसिंह पुत्र भारत जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	सरहद	शासकीय	धनीराम पि. भारत	गनीराम पि. भारत	-	-	-	-

3	40/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	गनीराम पुत्र भारत जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	शासकीय	भूरसिंह पि. भारत	रंगलाल पि. मनीराम	-	-	-	-
4	40/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	रंगलाल, रामनाथ, फग्गो, रंगवती, रंगिया पुत्रपुत्री मनीराम बेजन्ती बेवा रामलाल जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	शासकीय	गनीराम पि. भारत	शासकीय	-	-	-	-
5	36	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	नूरसिंह पुत्र हजारी जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	गणेश पि. भूपसिंह	शासकीय	शासकीय	रमेश पि. शिवपाल	-	-	-	-
6	35/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	रमेश पुत्र शिवपाल जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	गणेश पि. भूपसिंह	आनारक ली पि.	नूरसिंहपि. हजारी	फगनीबाई बेवा सोमू	-	-	-	-
7	34	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	फगनीबाई बेवा सोमू उर्फ गोपाल पप्पू उईके पिता बलीराम जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	रमेश पि. शिवपाल	शासकीय	रमेश पि. शिवपाल	सुदेशचंद पिता सुरेशचंद	-	-	-	-
8	33	भूमिस्वामी	कृषि	0.19	सुदेशचंद पुत्र सुरेशचंद जाति परवार पता ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	शासकीय	फगनीबाई बेवा सोमू	तारा पि. हजारी	-	-	-	-
9	25	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	तारा, गोपाल, शिवपाल, भूपसिंह, नूरसिंह, सुबिया पुत्रपुत्री हजारी जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	सूरज बेवा सुरेशचंद	सुदेशचंद पिता सुरेशचंद	श्यामी पि. राजाराम	-	-	-	-
10	26/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	श्यामी पुत्र राजाराम जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	सूरज बेवा सुरेशचंद	तारा पि. हजारी	नंदकुमार पि. राजाराम	-	-	-	-
11	26/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	नंदकुमार पुत्र राजाराम जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	सूरजबेवा सुरेशचंद	श्यामी पि. राजाराम	रामजीपि. राजाराम	-	-	-	-
12	26/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	रामजी पुत्र राजाराम जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	सिपतलाल पि. झाड	सूरज बेवा सुरेशचंद	नंदकुमार पि. राजाराम	रामकुमार पि. राजाराम	-	-	-	-

13	26/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	रामकुमार पुत्र राजाराम जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	सिपतलाल पि. झाड	सूरज बेवा सुरेशचंद	रामजी पि. राजाराम	नितीशकुमार पि. राजाराम	-	-	-	-
14	26/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	नितीशकुमार नाबालिग पुत्र नन्दू ऊर्फ नंदकुमार पिता राजाराम संरक्षक पिता नन्दू ऊर्फ नंदकुमार देवेन्द्रकुमार पुत्र रामकुमार रोशनलाल पुत्र श्यामलाम जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	अजय राय पिता उमाशंकर	सूरज बेवा सुरेशचंद	रामकुमार पिता राजाराम	अजय राय पिता उमाशंकर	-	-	-	-
15	27	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	अजय राय पुत्र उमाशंकर राय जाति कलार पता ग्राम भूमि स्वामी	सिपतलाल पि. झाड	सूरज बेवा सुरेशचंद	नितीशकुमार पि.	आशाबाई पत्निधनीरा	-	-	-	-
16	21/4	भूमिस्वामी	कृषि	.040	आशाबाई पत्नी धनीराम जाति महारा पता ग्राम भूमि स्वामी	सकराबाई पत्नि	कुशुमवती पत्नि	अजयराय पि. उमाशंकर	शासकीय	-	-	-	-
17	21/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	सकराबाई पत्नि मेखराम जाति महारा पता ग्राम भूमि स्वामी	धुरवती पत्नि देवीप्रसाद	आशाबाई पत्नि	सिपतलाल पि. झाड	सिपतलाल पि. झाड	-	-	-	-
18	21/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	धुरवती पत्नी देवीप्रसाद जाति महारा पता ग्राम भूमि स्वामी	धानवती पत्नि	सकराबाई पत्नि	सिपतलाल पि. झाड	शासकीय	-	-	-	-
19	18/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	विदेशी पुत्र बब्बू जाति गोंड पता ग्राम भूमि स्वामी	शासकीय	रामरतन पि. सोत	शासकीय	तकीमखों पि. रतीम	-	-	-	-
20	15	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	तकीमखों पिता रतीमखों जुमियाबी नूरबी पुत्री यतीमखों लियाकत शौकतखों पिता मुनीरखों रतीयाबी हुसेनबी पुत्री मुनीरखों नूरबी मुनीरखों म्याजखों द्वोरमिया रमजान पिता मुशीरखों रमजानबी पुत्री मुरीदखों जाति मु. पता सा.देह भूमि स्वामी	शासकीय	भूदानबोर्ड भेपाल	विदेशी पिता बब्बू	शासकीय	-	-	-	-
योग				1.66									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यववर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र.-1595-जि.भू.अ.-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :-सालीवाडा ब.नं.-559 प.ह.नं.- 47
 2- रा.नि.मं. :-भोमा तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 0.27 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म प्रगति	संख्या	प्रकार	कुर्ची का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	208	भूमि स्वामी	कृषि	0.06	रामनंदन पुत्र रामजी जाति बोनिया मेहरा पता ग्राम भूमि स्वामी	रामजी पिता शीशु	शासकीय	शासकीय	शासकीय	-	-	-	-

2	210	भूमि स्वामी	कृषि	0.04	चूरामन पुत्र रामजी जाति बोनिया मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमि स्वामी	शासकीय	चूरामन पिता रामजी	शासकीय	शासकीय	-	-	-	-
3	224/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	महेन्द्रकुमार बैनबती कुंतीबाई पुत्रपुत्री बीसू जाति बोनिया पता सिवनी म.प्र. भूमि स्वामी	शासकीय	चूरामन पि. रामजी	शासकीय	महेन्द्रकुमार पि. बीसू	-	-	-	-
4	223/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	चूरामन पुत्र रामजी जाति बोनिया मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमि स्वामी	शासकीय	रामनंदन पिता रामजी	महेन्द्रकुमार पिता बीसू	संतोषकुमार पि. दर्शनलाल	-	-	-	-
5	218/1	भूमि स्वामी	कृषि	0.01	रामभरोस पुत्र गयाप्रसाद जाति लुहार पता कलारबांकी सिवनी म.प्र. भूमि स्वामी	शासकीय	रामदास पिता गयाप्रसाद	शासकीय	भगो बाई बाबूलाल	-	-	-	-
6	218/2	भूमि स्वामी	कृषि	0.02	रामदास पुत्र गयाप्रसाद जाति लुहार पता सिवनी म.प्र. भूमि स्वामी	रामभरोस पुत्र गयाप्रसाद	रामनाथ पिता गयाप्रसाद	शासकीय	भगो बाई बाबूलाल	-	-	-	-
7	218/3	भूमि स्वामी	कृषि	0.05	रामनाथ पुत्र गयाप्रसाद जाति लुहार पता सिवनी म.प्र. भूमि स्वामी	पिता रामदास गयाप्रसाद	शासकीय	शासकीय	भगो बाई बाबूलाल	-	-	-	-
8	155/1	भूमि स्वामी	कृषि	0.07	मोहनलाल पुत्र शोभाराम जाति महरा पता सिवनी म.प्र. भूमि स्वामी	सुषमा ठाकुर पति	शासकीय	शासकीय	पतिराम उर्फ किशोरीलाल	-	-	-	-
योग	-	-	-	0.27									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

ज्ञापन-क्र.-1596-भू-अर्जन-2023

(प्रारूप -क)

नियम 4 देखिए

1. राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

1	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सभाग जबलपुर
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु।
3	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण	1.- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी 2.- वन परिक्षेत्र अधिकारी, घंसौर जिला- सिवनी 3.- सहायक कृषि विस्तार अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी 4.- राजस्व निरीक्षक मण्डल घंसौर / हल्का पटवारी, हल्का नम्बर 36 5.- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया
४	भूमि का विवरण	
	क.जिला	सिवनी
	ख.तहसील	घंसौर
	ग.ग्राम/नगर	पिपरिया
	प्रभावित खसरा नं.	खसरा नं. 389/2/1, 389/3,
	घ.कुल प्रभावित क्षेत्र	कुल रकबा 0.23 हेक्टर.
	ड.अर्जित होने वाला क्षेत्र	0.23 हेक्टर.
7	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	घोघरीमाल से खमरिया मार्ग के कि.मी. 15/6 पर हालोन नदी में उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु
8	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	ग्राम -पिपरिया.
9	क्या ग्राम सभा और /या भूमिधारकों की सहमति आपेक्षित है	नहीं
10	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन होने के 06 माह के भीतर

2.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है।

3.अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण सभाग-जबलपुर जिला जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-5-अ-82-2021-22

गुना, दिनांक 17 मार्च 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा-15(1) के तहत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

- (1) परियोजन का नाम :- सुगलिया सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण
- (2) भूमि का विवरण :-
 - 1) जिला :- गुना
 - 2) तहसील :- मकसूदनगढ़
 - 3) ग्राम :- बरखेडीराम
 - 4) प.हन. :- 43
 - 5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :- 33.511 हैक्टेयर

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	नानजी पुत्र कालूराम जाति शहरिया पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	2/1	0.157	0.157
	योग:-	1	0.157	0.157
2	करतारसिंह पुत्र किशनलाल पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	2/2/1	1.024	0.410
	योग:-	1	1.024	0.410
3	मुकेश पुत्र नेनकराम जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	2/2/2/1	0.512	0.128
	योग:-	1	0.512	0.128
4	मिथुन पुत्र नेनकराम जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	2/2/2/2	0.513	0.128
	योग:-	1	0.513	0.128
5	देवीसिंह पुत्र दौलतराम हि. 1/2 भाग, भमरीबाई बेवा दौलतराम हि. 1/2 भाग, जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	2/2/3	1.024	0.614
	योग:-	1	1.024	0.614
6	नेमसिंह, पदमसिंह, मेहरवानसिंह, गोलू पुत्र रामप्रसाद सम्पतबाई बेवा रामप्रसाद गमलीबाई पुत्री रामप्रसाद जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	2/2/4	1.024	1.024
	योग:-	1	1.024	1.024

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
7	ग्यारसीराम पुत्र गंगाराम हि. 1/2 भाग, रोहित पुत्र अतरसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता गुना म.प्र. भूमि स्वामी	3	1.212	1.212
	योग:-	1	1.212	1.212
8	हीरालाल पुत्र किशोरी जाति तैली पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	5	3.669	3.669
		8	0.094	0.094
	योग:-	2	3.763	3.763
9	अमरसिंह पुत्र घीसाजी जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	6/1	0.129	0.129
	योग:-	1	0.129	0.129
10	महेश पुत्र लक्ष्मीनारायण पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	6/2/1	0.064	0.064
	योग:-	1	0.064	0.064
11	रमेश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	6/2/2	0.065	0.065
	योग:-	1	0.065	0.065
12	इमरतलाल पुत्र घीसाजी जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	6/3	0.129	0.129
		23/5	0.585	0.146
	योग:-	2	0.714	0.275
13	राकेश पुत्र रामचरण पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	6/4/1	0.096	0.096
		16/1/1	0.414	0.207
		23/2/1	0.440	0.044
	योग:-	3	0.950	0.347
14	मुकेश पुत्र रामचरण जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	6/4/2	0.097	0.097
		16/1/2	0.414	0.166
		23/2/2	0.439	0.044
	योग:-	3	0.950	0.307
15	शिवनाराम पुत्र मदनलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	6/5	0.193	0.193
		16/2	0.829	0.663
	योग:-	2	1.022	0.856
16	करणसिंह लाखनसिंह पुत्र मोतीलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	7	1.317	1.054
	योग:-	1	1.317	1.054
17	जगदीश, रामस्वरूप पुत्रगण बन्शीलाल मु. दरयादबाई बेवा बन्शीलाल सोरमबाई, पिन्की पु. बन्शीलाल जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	9/1	0.256	0.256
	योग:-	1	0.256	0.256
18	देवीसिंह पुत्र पन्नालाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	9/2/1	0.085	0.085
	योग:-	1	0.085	0.085
19	रामदयाल पुत्र पन्नालाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	9/2/2	0.086	0.086
	योग:-	1	0.086	0.086
20	राजू, गोलू पुत्र सुन्दरलाल शीलाबाई बेवा सुन्दरलाल जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	9/2/3	0.085	0.085
	योग:-	1	0.085	0.085

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हि. मे.)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हि.मे.)
21	मुकेश पुत्र उमरावसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	9/2/4	0.086	0.086
	योग:-	1	0.086	0.086
22	रामबाबू पुत्र मानसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	9/2/5	0.170	0.170
	योग:-	1	0.170	0.170
23	जगन्नाथ पुत्र शंकरसिंह रघुनाथ बंदीलाल कमलसिंह रमेश अशोक पुत्रगण भमरलाल केशरबाई बेवा भमरलाल प्यारीबाई, कलियाबाई पुत्रीया शंकरसिंह जाति यादव पता भूमि स्वामी	9/3	0.256	0.230
	योग:-	1	0.256	0.230
24	मागीलाल पुत्र ऊकार जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	10/1	0.668	0.601
		14/1	0.798	0.239
		15/1	0.251	0.100
	योग:-	3	1.717	0.940
25	राजू पुत्र विहारीलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	10/2/1	0.166	0.166
	योग:-	1	0.166	0.166
26	रामगोपाल पुत्र विहारीलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	10/2/2	0.166	0.166
	योग:-	1	0.166	0.166
27	कान्ताप्रसाद पुत्र विहारीलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	10/2/3	0.166	0.166
	योग:-	1	0.166	0.166
28	विष्णु पुत्र विहारीलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	10/2/4	0.166	0.149
	योग:-	1	0.166	0.149
29	करनसिंह पुत्र ऊकार जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	10/3	0.664	0.598
		15/3	0.250	0.075
	योग:-	2	0.914	0.673
30	बाबूसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	11/1	0.268	0.268
		262/4/1	0.523	0.512
	योग:-	2	0.791	0.780
31	रंगलाल पुत्र जगन्नाथ जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	11/2	0.268	0.268
		262/4/4	0.522	0.365
	योग:-	2	0.790	0.633
32	रूगनाथ पुत्र भमरलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	11/3	0.215	0.215
		13/3	0.238	0.012
	योग:-	2	0.453	0.227
33	बंदीलाल पुत्र भमरलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	11/4	0.214	0.214
		13/4	0.239	0.012
	योग:-	2	0.453	0.226
34	कमलसिंह पुत्र भमरलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	11/5	0.214	0.214
		13/5	0.239	0.012
	योग:-	2	0.453	0.226

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हि. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हि. में)
35	रमेश पुत्र भमरलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	11/6	0.214	0.193
		13/6	0.238	0.005
		योग:-	2	0.452
36	अशोक पुत्र भमरलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	11/7	0.214	0.193
		योग:-	1	0.214
37	धीरजसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	11/8	0.267	0.254
		13/1	0.298	0.015
		262/4/3	0.523	0.495
योग:-	3	1.088	0.764	
38	चन्द्रसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	11/9	0.268	0.268
		13/2	0.298	0.015
		262/4/2	0.522	0.495
योग:-	3	1.088	0.778	
39	रामकैलाश पुत्र काशीराम जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	12/2/1	0.120	0.120
		24/1	1.478	0.443
		68/1	1.098	1.098
		265/1/1	0.680	0.034
योग:-	4	3.376	1.695	
40	लक्ष्मीनारायण पिता मदनलाल हि. 1/3 भाग, गोरधनसिंह पिता मदनलाल हि. 1/3 भाग, कांतीबाई पुत्री मदनलाल हि. 1/3 भाग, जाति यादव पता गुना म.प्र. भूमि स्वामी	12/2/2	0.120	0.120
		24/2	1.323	0.662
		68/2	1.097	0.658
		265/1/2	0.679	0.034
योग:-	4	3.219	1.474	
41	बिहारी पुत्र ऊकार जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	14/2	0.798	0.040
		15/2	0.251	0.013
		योग:-	2	1.049
42	गीताबाई पत्नी करणसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	14/3	0.797	0.040
		योग:-	1	0.797
43	रतनसिंह पुत्र गंगाराम जाति राजपूत पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	17/1	0.949	0.380
		260/1	0.130	0.130
		योग:-	2	1.079
44	कम्मोदसिंह पुत्र गंगाराम जाति राजपूत पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	17/2	0.948	0.284
		260/3	0.130	0.130
		योग:-	2	1.078
45	निरपत पुत्र आसाराम जाति राजपूत पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	17/3/1	0.474	0.119
		66/1/3/1	0.384	0.076
		योग:-	2	0.858
46	रघुवीरसिंह पुत्र आसाराम जाति सामान्य पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	17/3/2	0.475	0.119
		66/1/3/2	0.384	0.076
		योग:-	2	0.859

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
47	मुकेश पुत्र खुमानसिंह जाति राजपूत पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	17/4	0.948	0.284
		66/1/4	0.769	0.153
		योग:-	2	1.717
48	हीरालाल पुत्र भारतसिंह जाति अहीर पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	25/1/1	0.784	0.196
		69/1/1	0.365	0.183
		योग:-	2	1.149
49	नारायणसिंह पुत्र देवीसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	25/1/2/1	0.392	0.098
		69/1/2/1	0.182	0.091
		योग:-	2	0.574
50	विक्रमसिंह पुत्र देवीसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	25/1/2/2	0.392	0.098
		69/1/2/2	0.183	0.092
		योग:-	2	0.575
51	भगवानसिंह पुत्र हरिसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	25/2/1	0.627	0.156
		69/3/1	0.366	0.256
		योग:-	2	0.993
52	जयनारायण पुत्र हरिसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	25/2/2	0.627	0.156
		69/3/2	0.367	0.256
		योग:-	2	0.994
53	लाखनसिंह, घमैन्द्र पुत्रगण फूलसिंह मु. कान्ताबाई बेवा फूलसिंह विनीताबाई पुत्री फूलसिंह जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25/3	1.568	0.157
		69/2	0.732	0.366
		योग:-	2	2.300
54	ग्यारसीराम पुत्र गंगाराम जाति राजपूत पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	67/1/3	0.445	0.111
		260/5	0.129	0.129
		योग:-	2	0.574
55	हरिओम पुत्र रामचन्द्र पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	67/2/1	0.836	0.585
		67/2/3	0.630	0.630
		70/1	1.197	1.197
		योग:-	3	2.663
56	सुखदेव पुत्र मोतीलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	67/2/2	0.862	0.431
		योग:-	1	0.862
57	दिनेशबाबू पुत्र शैतानसिंह पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म. प्र. भूमि स्वामी	66/1/1/1	0.384	0.115
		260/4/1	0.065	0.065
		योग:-	2	0.449
58	सर्जनसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	66/1/1/2	0.384	0.096
		260/4/2	0.064	0.064
		योग:-	2	0.448
59	अतरसिंह पुत्र बल्देव जाति राजपूत पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	66/1/2	0.768	0.192
		260/2	0.130	0.130
		योग:-	2	0.898

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
60	मुकेश पुत्र शम्भूसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	73/1/5	0.717	0.215
		261/4	0.709	0.213
	योग:-	2	1.426	0.428
61	करनसिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	73/1/4	0.717	0.215
	योग:-	1	0.717	0.215
62	अरूण पुत्र रामदयाल हि. 1/3 भाग, संदीप पुत्र रामदयाल हि. 1/3 भाग, बबलीबाई बेवा रामदयाल हि. 1/3 भाग, सर्व जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	67/2/4	1.516	0.076
	योग:-	1	1.516	0.076
63	महेश पुत्र मोतीलाल पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	66/2/2	0.836	0.042
	योग:-	1	0.836	0.042
64	मुकेश पुत्र नारायणसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	276/2	0.314	0.314
	योग:-	1	0.314	0.314
65	कमलसिंह पुत्र मोतीलाल जाति अहीर पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	276/1	1.013	0.810
	योग:-	1	1.013	0.810
66	हिम्मतसिंह पुत्र मोतीलाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	70/2	1.196	1.196
	योग:-	1	1.196	1.196
67	जितेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	268/1	1.129	0.056
	योग:-	1	1.129	0.056
68	राधेश्याम पुत्र मोतीलाल पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	268/2	1.128	0.056
	योग:-	1	1.128	0.056
69	पूनमचन्द्र पुत्र गोरया जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	263/3	0.519	0.052
	योग:-	1	0.519	0.052
70	मथुरालाल पुत्र गोरया जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	263/2	0.519	0.260
	योग:-	1	0.519	0.260
71	दिनेश पुत्र बाबूलाल पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	263/1/1	0.259	0.181
	योग:-	1	0.259	0.181
72	राधेश्याम पुत्र बाबूलाल पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	263/1/2	0.260	0.208
	योग:-	1	0.260	0.208
73	राजाराम पुत्र हीरालाल जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	262/2/1	1.045	0.052
	योग:-	1	1.045	0.052

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे. में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
74	बाबूलाल पुत्र इमरतसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	261/1	1.063	0.106
	योग:-	1	1.063	0.106
75	बनवारीलाल पुत्र इमरतसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	261/2	1.063	0.425
	योग:-	1	1.063	0.425
76	पर्वतसिंह पुत्र शम्भूसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	261/3	0.709	0.284
	योग:-	1	0.709	0.284
77	राजेश पुत्र धीरजसिंह जाति यादव पता बरखेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	261/5	0.708	0.071
	योग:-	1	0.708	0.071
	महायोग :-	122	66.472	33.511

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा।

भूमि के नक्शे तथा प्लान आदि का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राघौगढ़, जिला - गुना के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.—4—अ—82—2021—22

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा-15(1) के तहत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

- (1) परियोजन का नाम :- सुठालिया सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण
- (2) भूमि का विवरण :-
 - 1) जिला :- गुना
 - 2) तहसील :- मकसूदनगढ़
 - 3) ग्राम :- जमीराजपुर
 - 4) प.हन. :- 43
 - 5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :- 1.036 हैक्टेयर

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	द्वारकाप्रसाद पुत्र पन्नालाल हि. 1/2 भाग, जगदीशप्रसाद मोहनप्रसाद पुत्र उधमसिंह नितिन कुमार पवकास कुमार पुत्र राजेन्द्रप्रसाद जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2/4/1/5	0.010	0.010
	योग	1	0.010	0.010
2	दिवेक पुत्र मोहनप्रसाद हि. 782/1563 भाग, विकास पुत्र मोहनप्रसाद जाति शर्मा हि. 781/1563 भाग पता मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	2/4/1/3	1.563	0.391
	योग	1	1.563	0.391
3	गोविन्दप्रसाद पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति शर्मा पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	2/4/1/1/1	1.273	0.127
	योग	1	1.273	0.127
4	गोपालप्रसाद पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति शर्मा पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	2/4/1/1/2	1.273	0.254
	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
	योग	1	1.273	0.254
5	निरजकुमार पुत्र द्वारकाप्रसाद जाति शर्मा पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	2/4/1/1/3	1.272	0.254
	योग	1	1.272	0.254
	महायोग :-	5	5.391	1.036

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा

भूमि के नक्शे तथा प्लान आदि का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राघौगढ़, जिला - गुना के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-6-अ-82-2021-22

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा-15(1) के तहत कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

- (1) परियोजना का नाम :- सुठालिया सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण
 (2) भूमि का विवरण :-
 1) जिला :- गुना
 2) तहसील :- मकसूदनगढ़
 3) ग्राम :- शाहपुर
 4) प.ह.न. :- 43
 5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :- 8.671 हैक्टेयर

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	अवध किसोर ऊर्फ अवधनारायण पुत्र पन्नालाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	195	1.484	0.148
	योग	1	1.484	0.148
2	रामचरण पुत्र बलराम हि. 1/2 भाग, हरिनाराण पुत्र बलराम हि. 1/2 भाग, जाति बृजुआ पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	233/1	0.627	0.251
	योग	1	0.627	0.251
3	देवीसिंह पुत्र बूपलाल जाति सौध्या पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	234/1	0.214	0.064
		233/2/1	0.094	0.005
	योग	2	0.308	0.069
4	हरिसिंह पुत्र भैरोसिंह जाति सौध्या पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	234/2	0.214	0.010
	योग	1	0.214	0.010
5	गुलाबसिंह, लालाराम पिता अमरचंद हरवोबाई बेवा अमरचंद जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	231	3.763	0.188
	योग	1	3.763	0.188

	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.में)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
6	रामप्रसाद पुत्र नानजी हि. 1/2 भाग, सुन्दरलाल पुत्र पूनया हि. 1/2 भाग, जाति सैर पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	226	1.348	0.135
	योग	1	1.348	0.135
7	रामप्रसाद जमनालाल राईसा पुत्रगण गोपीलाल कान्तीबाई धापूबाई रूपाबाई पुत्रिया गोपीलाल जाति सैहरिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	203	0.648	0.389
	योग	1	0.648	0.389
8	रतनलाल पुत्र मथुरालाल जाति यादव पता राजपूरा मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	204	0.282	0.014
		200/1	0.491	0.491
	योग	2	0.773	0.505
9	जयनारायण दिलीप निरज पुत्रगण कमरलाल पविताबाई पूजाबाई पुत्रिया कमरलाल अडावबाई बेवा कमरलाल जाति बृजुआ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	206/8/1	0.164	0.164
	योग	1	0.164	0.164
10	सुन्दरलाल पुत्र पुनाजी पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	206/8/2	0.836	0.669
		206/3	1.000	1.000
		205	0.167	0.167
	योग	3	2.003	1.836
11	जगन्नाथ पुत्र परमा जाति ब्रजुआ पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	206/2	1.000	0.700
	योग	1	1.000	0.700
12	हेमराज पुत्र धनराज जाति हरिजन पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	216/3	1.300	0.390
	योग	1	1.300	0.390
13	कुमरसिंह पुत्र देवीसिंह जाति अहीर पता बड़खेडीराम मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	224/2	0.418	0.021
	योग	1	0.418	0.021
14	रामकैलाश पुत्र भमरजी जाति सौध्या पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	206/5	1.000	0.800
	योग	1	1.000	0.800
15	जीवनलाल पुत्र चुन्नीलाल हि. 1/2 भाग, नवलसिंह पुत्र चुन्नीलाल हि. 1/2 भाग, जाति बृजुआ पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	206/7	0.513	0.010
	योग	1	0.513	0.010
16	प्रहलाद भारोसा मुरारीलाल भुजवाल पुत्रगण किसनलाल प्रेमबाई बेवा किसनलाल शान्तिबाई कलाबाई मूर्तिबाई रामकन्या पुत्रिया किसनलाल जाति कुम्हार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	206/6	1.000	0.700
	योग	1	1.000	0.700

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	भूमि का रकबा (हे.मै)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मै)
17 ग्यारसीराम पुत्र शिबू जाति बृजुआ पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	206/4	1.000	1.000
योग	1	1.000	1.000
18 पून्या पुत्र कालूराम जाति सैहरिया पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	201	0.669	0.669
	200/2	0.418	0.418
योग	2	1.087	1.087
19 नीरजसिंह वीरमसिंह पुत्रगण रामप्रसाद नोरंगबाई सोरमबाई पुत्रिया रामप्रसाद धापूबाई बैवा रामप्रसाद जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	199	0.084	0.084
	198/1	0.141	0.085
योग	2	0.225	0.169
20 गिरराजबाई पत्नी विजयसिंह हि. 1/2 भाग, मज्जूबाई पत्नी आशोक हि. 1/2 भाग, जाति यादव पता शाहपुर मकसूदनगढ़ गुना म.प्र. भूमि स्वामी	198/2	0.141	0.099
योग	1	0.141	0.099
महायोग :-	26	19.016	8.671

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा

भूमि के नक्शे तथा प्लान आदि का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राघौगढ़, जिला - गुना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

फ्रैंक नोबल.ए., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी बड़वाह,
जिला, खरगोन मध्यप्रदेश

पत्र क्र.-669-रीडर-1-2023

बड़वाह, दिनांक 20 फरवरी 2023

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 706/ B-12 /2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 53.63 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम- बावडिया से ग्राम- खरवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ग्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- धनकलां प.ह.नं.- 30, रा.नि. मं.-02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- धनकलां प.ह.नं.- 30,	197	0.009
			199/1	0.033
			198/4	0.008
			198/3	0.041
			196	0.003
खरगोन	सनावद	ग्राम- धनकलां प.ह.नं.- 30,	211/2	0.026
			180/2	0.016
			180/1	0.064
			183/2	0.025
			39	0.006
			41/2	0.095
			28	0.207
			29	0.019
कुल योग			13	0.552

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 0711/ब-121/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 53.63 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम- बावडिया से ग्राम- खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 03 व 36 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गुमटी प.ह.नं.-29, रानि. मं.-02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- गुमटी प.ह.नं.-29,	174/1	0.034
			310	0.049
			308/2	0.030
			312/7	0.042
			366/1	0.008
खरगोन	सनावद	ग्राम- गुमटी प.ह.नं.-29,	366/2	0.046
			367/3	0.037
			367/2	0.012
			371/1 ब	0.083
कुल योग			09	0.341

पत्र क्र.-867-रीडर-1-2023

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक- ०११५/ब-121/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 53.63 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम- खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 03 व 16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बावड़िया प.ह.नं.- 29, रा.नि.मं.-01, बेड़िया, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- बावड़िया प.ह.नं.- 29,	137	0.016
			136	0.172
			135/1	0.072
			133/1	0.030
			128/4	0.035

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम— बावड़िया प.ह.नं.— 29,	131/3	0.031
			128/6	0.022
			132/3	0.004
			132/1	0.042
			131/4	0.007
			131/2	0.008
			131/1	0.019
			112	0.029
			40/6	0.020
			40/5	0.013
			42/5	0.004
			42/4	0.011
			40/4	0.006
			40/3	0.005
			42/3	0.036
			42/2	0.009
			40/2	0.011
			42/1	0.037
			29	0.004
			41	0.008
34/9/2	0.006			
34/10	0.018			
34/11	0.022			
कुल योग			28	0.697

पत्र क्र.-870-रीडर-1-2023

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक- 01713/ब-121/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोफहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 53.63 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-02 ग्राम- बावडिया से ग्राम- खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 36 व 199 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिंजलवाड़ा प.ह.नं.- 28, रा.नि.मं.-01, बेड़िया, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- बिंजलवाड़ा प.ह.नं.- 28,	151/4	0.029
			151/5	0.041
			151/6	0.007
			151/3	0.063
			151/2	0.054

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	ग्राम- बिजलवाड़ा प.ह.नं.- 28,	149	0.149
			127/11	0.013
			127/10	0.016
			127/9	0.036
			127/8	0.035
			148/2	0.030
			148/1	0.045
			134/1	0.023
			134/2	0.036
			134/3	0.045
			80/6	0.018
			80/13	0.015
			80/2	0.038
			80/7	0.046
			80/3	0.052
			80/11	0.026
			80/15	0.039
			80/12	0.004
			80/8	0.007
			76/2	0.024
76/1	0.021			
66	0.012			
135	0.003			
कुल योग			28	0.927

बी.एस.कलेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी
भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र.-840-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0474-ब-121-2022-23

भीकनगांव, दिनांक 21 फरवरी 2023

प्ररूप-‘घ’
(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 187/भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम- लखापुर प.ह.नं.- 30 रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- लखापुर प.ह.नं.- 30	7/8/9/2	0.022
			7/8/9/3	0.022
			7/8/9/4	0.024
			7/8/9/5	0.005
			4/2/1	0.028

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— लखापुर प.ह.नं.— 30	4/2/2	0.028
			4/3	0.010
			4/4	0.060
			5/2	0.008
			5/6	0.008
			5/3	0.010
			5/4	0.010
			5/5	0.008
			5/7	0.008
			5/8	0.008
			5/9	0.010
			16/1/ग	0.072
			16/1/ख	0.030
			18/2	0.075
			17/1/2 17/2	0.002
			24/1	0.037
			24/5	0.103
			कुल योग	

क्र.-882-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-अ-82-2022-23

प्ररूप- 'ख'

[नियम 5 का उपनियम (2)]

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-14 व 43 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सुन्द्रेल प.ह.नं.-66, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सुन्द्रेल प.ह.नं.-66,	591/1	0.063
			568	0.113
			563/1/2	0.007
			563/1/1	0.036
			550/3	0.058

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सुन्द्रेल प.ह.नं.-66,	550/4	0.048
			552/1	0.058
			556/1	0.003
			555/1	0.109
			555/2	0.033
			526/1	0.041
			524/1	0.024
			520	0.041
			519/2/2	0.017
			519/2/1	0.039
			518/2	0.036
			518/1	0.044
			516/1/1	0.111
			516/5	0.127
			512/2	0.057
			21/1	0.019
			22/1	0.087
			298	0.061
			25/2	0.085
			224/7	0.018
			224/8	0.019
			224/9	0.018
			224/10	0.019
			224/11	0.012
			224/12	0.010
			225/2/1	0.063
225/3	0.006			
46/1/3 46/2	0.115			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- सुन्देल प.ह.नं.-66,	46/1/2	0.076
			46/2	
			68/1	0.048
			68/2	0.040
			70	0.084
			72/1	0.030
			73/2	0.042
			73/3	0.025
			74/3	0.050
			73/4/1	0.009
			74/1/1	
			74/2/1	0.030
			111/1	0.103
			107	0.140
			108/2	0.024
			109	0.040
			106/1	0.043
106/2	0.017			
118/1	0.020			
कुल योग			52	2.418

क्र.-892-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप- 'ख'
[नियम 5 का उपनियम (2)]

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-105 व 151 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- आखापुरा प.ह.नं.-18/77, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- आखापुरा प.ह.नं.- 18/77,	54	0.188
			51	0.041
			52/2	0.030
			45	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम— आखापुरा प.ह.नं.— 18/77,	35	0.232
			36	
			37	0.008
			132/2	
			137/1/2	0.007
			137/1/4	0.007
			137/1/5	0.007
			137/2	0.007
			137/3	0.013
			134	0.053
			150/1/1	0.013
			150/1/2	0.013
			150/1/3	0.014
			12/1	0.050
			2/4	0.054
			2/2	0.023
			2/5	0.020
			2/3	0.027
			2/6	0.013
			6	0.067
			5/1	0.039
			5/2	0.040
			कुल योग	

क्र.-917-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप- 'ख'
[नियम 5 का उपनियम (2)]

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह0 भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह0 भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,	1/3	0.046
			1/5	0.050
			1/7	0.004
			6/1	0.026
			5/5	0.028

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,	5/6	0.006
			5/8	0.082
			7/3	0.050
			8/2	0.042
			95/2	0.007
			96/1	0.046
			96/2/3	0.011
			96/3	0.026
			96/2/4	0.020
			101/2/1	0.002
			101/1	0.003
			216/1	0.055
			216/2	0.035
			217	0.054
			223/3	0.021
			223/4	0.043
			223/1	0.002
			226/4	0.002
			226/3/2	0.024
			226/3/1	0.031
			226/2	0.040
			227/2	0.006
			227/3	0.024
			227/4	0.034
			227/5	0.012
			229/1	0.028
			229/5	0.064
			229/4	0.002
			230/1/1/1	0.013
			230/2/1	0.023
			230/2/5	0.075
			230/1/5/2	0.014
230/4	0.015			
230/1/5/3	0.002			
233/1	0.003			
230/1/5/1	0.018			
232/1	0.010			
232/2	0.010			
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42	232/3/1	0.023
			232/3/2/2	0.011
			238/3/2	0.011
			232/10	0.008
			232/4	0.010
			232/7	0.010
			232/6	0.010
			232/8	0.010
232/9	0.008			
कुल योग			50	1.189

क्र.-919-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप- 'ख'
[नियम 5 का उपनियम (2)]

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलाई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बडिया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत साईजिंगमें पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-139 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- निमोनी प.ह.नं.-06/72, रा.नि.मं.-02, अंदर, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- निमोनी प.ह.नं.-06/72	171/5	0.058
			172/2	0.048
			173/4/2	0.030
			190/6	0.049
			190/15	0.056
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- निमोनी प.ह.नं.-06/72	190/3	0.043
			182/2	0.052
			182/7	0.040
			50/4	0.014
			50/3	0.020
			53/2	0.026
			135/2	0.034
			136	0.033
			54	0.260
			53/1/2	0.005
			190/7/2	0.015
			137/2	0.017
			135/4	0.052
कुल योग			18	0.852

क्र.-921-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप- 'ख'
[नियम 5 का उपनियम (2)]

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम-बुडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-186 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- उमरदड़, प.ह.नं.- 62/106, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- उमरदड़, प.ह.नं.- 62/106	22/3	0.105
			22/1	0.011
			13/1	0.114
			11	0.032
			9	0.004
खरगोन	भीकनगांव	ग्राम- उमरदड़, प.ह.नं.- 62/106	8/8	0.040
			8/6	0.025
			8/7	0.020
कुल योग			08	0.351

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी.